International Journal of Scientific Research in Science and Technology
Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X (www.ijsrst.com)
doi : https://doi.org/10.32628/IJSRST

छत्तीसगढ़ राज्य के मनरेंगा योजना में महिलाओं की भूमिका ''राजनांदगांव जिले के विषेष संदर्भ में''

दिलेश्वरी साहू
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, नया रायपुर (छ.ग.)
डॉ. अनीता सामल
(Ph.D) प्राध्यापक, कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, नया रायपुर (छ.ग.)

Article Info
Volume 8, Issue 4
Page Number : 263-272

Publication Issue
July-August-2021

Article History
Accepted : 07 July 2021
Published : 13 July 2021

शोध शीर्षक :–
महात्मा गांधी नरेगा कार्यो के गुणवत्त प्रबंधन की जरूरत तथा नरेगा का अहम उदेश्य टिकाऊ परिसम्पत्ति का सृजन करना और ग्रामीण गरीबों के अजिविका आधार को बढ़ावा देना है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम उन ग्रामीणों को महिलाएं शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिसमें यह योजना में रोजगार गारंटी के साथ ग्रामीण महिलाओं के साथ ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण व विकास करने तथा गांवो से शहरों की ओर होने वाला पलायन तथा महिला हिंसा पर अंकुश लगाने और समाज में महिलाओं के प्रति सामाजिक समानता लाने में सहायता प्रदान करती हैं।

मुख्य बिन्दु :– महिला सशाक्तिकरण,निर्धनता, सामाजिक संरचना, ग्रामीण विकास, लैगिक भेदभाव, जातिप्रथा आधारभूत सेवा, जागरूकता, स्वालंम्बी।

प्रस्तावना :–

भारत जैसी एक कृषि प्रधान देश एवं ग्राम्य बहुलय जैसी राष्ट्र हैं, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अगर देश का विकास करना है तो भारतीय गांवों को अनदेखा नही किया जा सकता। ग्रामीण विकास निरंतर चलाने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान दशा में सुधार किया जा सकता है। जिसमें – सामाजिक , राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में गुणात्माक परिवर्तन भी शामिल है, आज महिला शब्द सामने आते ही दिलो और दिमाग में ऐसे प्राणी की उभारती है जो पीड़ित है, असहय है, लचार है, संवैधानिक मूलभूत अधिकारो का उपयोग करने के लिए विवश है अन्याय के समाने विवश आवाज उठाने के लिए, घूट–घूट कर दूसरों की मर्जी के मुताबिक जीवन जीने के लिए हम प्रति वर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं।

उन्ही महिलाओं की अर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 05 सितबंर 2005 को पारित किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 150 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती हैं , यह ऐसी पहिली योजना है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना 01 अप्रैल 2008 से यह कानून पूरी भारत के गांवो में लागू किया गया है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

1.kannapioram(1992) द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मुलन योजना का ग्रामीण निर्धनता पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामो ंके अनुसार ग्रामीण गरीबी उन्मलून योजना में सतत् रोजगार के कारण ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार आया ।

2.Siddhanta,P.(2008) ने अपने लेख मे ंमनरेगा पर योजना आयोग की रिर्पोट का विश्लेषण किया। इसके अनुसार केवल 14 प्रतिशत परिवारो को योजना के अंतर्गत 100 दिन रोजगार पद्रान किया जा सका। रिर्पोट के अनुसार गुजरात और केरल ने मनरेंगा के तहत औसत 22 दिन का रोजगार प्रत्येक पंजीकृत परिवार को उपलब्ध कराया वही ंपश्चिम बगांल एव ंबिहार में 26 दिन राजेगार उपलब्ध कराया। गजुरात, केरल, पश्चिम बगांल एवं बिहार देश में मनरेगा के कियान्वयन मे ंसबसे पिछड़े हुए थे ।

3. Badodiya et al.(2011) महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का गरीबी उन्मुलन के संदर्भ मे ंअध्ययन किया। अध्ययन हेतु ग्वालियर जिले के मोरार ब्लॉक के 110 ग्रामीण लाभार्थी जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के थे, का चयन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामो के मनरेगा में कार्य करने से लाभार्थियो ंकी आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार हुआ। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि मनरेगा मे ंकार्य के दौरान अधिकारीयो से सपंर्क मे ंआने से लाभार्थियों का शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, लाने सुविधा के बारे में जानकारी मे भी सार्थक वृद्वि हुइ ।

4. Honnakeri and Kote(2012) ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी योजना ने गॉव से पलायन की समस्या एव ंआर्थिक स्थिति पर पडने् वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन हेतु गुलर्बगा जिले के दो गॉवों कोडला एव कुसनुरू से आकंड़ो का सकंलन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत रोजी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया गया एवं इस सबंध मे ंकोई शिकायत दर्ज नही ंहुई। अध्ययन मे ं यह पाया गया कि मनरेगा मे ंकार्यरत प्रतिशत लोग मनरेगा के विषय में अनभिज्ञ थे । अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम में यह ज्ञात हुआ कि मनरेगा के प्रारभं होने के पश्चात् ग्रामीणो ंकी पलायन की प्रवृति घटी जिसका मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार था।

प्रस्तावित शोध का उदेश्य :–

शोध संबंध में निम्नालिखित उदेश्य बताये गये हैं –

(1) मनरेगा योजना में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन किया गया |

(2) मनरेगा योजना में ग्रामीण महिलाओं को शहरों की ओर होने वाले पलायन का अध्ययन किया गया |

(3) मनरेगा योजना में जाति प्रथा, भेदभाव का अध्ययन किया गया |

(4) मनरेगा योजना की महत्ता एवं कार्यशिलता पर अध्ययन किया गया |

(5) मनरेगा योजना के सफल संचालन हेतु उपर्युक्त सुझाव प्रस्तुत किया गया |

शोध प्रविधि :–

राजनांदगांव जिले के 9 ब्लाक में से 4 ब्लाक लिये गये है जिसमें (डोगरगढ़, मानपुर, छुरिया, डोगरगांव) है जिसमें सर्वे विधि का प्रयोग किये गये है, शोध प्रविधि के अध्ययन में मुख्यतः प्राथमिक व द्वितियक स्त्रोतों के सहारा लिया गया है जिससे मूलभूत आधार शोध समाग्री , समंक व सूचनाओं का संग्रहण होता है।

जिससे सारणीयन व तालिका वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण किया गया हैं। शोध में प्राप्त संमकों को अच्छे से आवश्यक जांच व विश्लेषण, तुलना करने के बाद ही सम्मिलित किए गए है। शोध प्रबंधन में सांख्यिकीय परिसीमा व अपवादों को भी ध्यान में रखा गया है इसमें प्रश्नावली का चयन तथा निर्दशन कर विश्लेषण व निर्वाचन किया गया हैं।

शोध की परिकल्पना :–

प्रस्तावति शोध में निम्नालिखित व परिकल्पना प्रस्तुत की गई है।

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण महिलाओं के शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में सहायक होगी।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की समाज में होने वाली जाति प्रथा व भेद भाव में भी रोकने में सहायक होगी।

(3) ग्रामीण महिलाओं के सशाक्तिकरण एवं घरेलू हिंसा में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(4) महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में भी मनरेगा योजना कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।

मनरेगा योजना का सामान्य परिचय :–

मनरेगा 5 सितंबर 2005 को भारत के राष्ट्र की सहमति से एक नई नीति अस्तित्व में आई जिससे भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रो में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम किया । इसकी शुरूआत ''नरेगा'' नाम से हुई जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए खड़ा था और एक अतिरिक्त पत्र ''एम'' अर्थात मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया था, मनरेगा एक रोजगार योजना है , जो हर साल उन परिवारों को 150 दिनों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। जिससे वयस्क सदस्य अकुशल श्रम ग्रहण कार्य का विकास चुनते है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना केन्द्र सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश जिले के बांदापल्ली ग्राम से लागू किया गया। इसके पश्चात् प्रथम चरण में इस योजना को देश के अत्यंत पिछड़े हुए 200 ग्रामीण जिले मे लागू किया गया और वित्त वर्ष 2007–08 से 130 जिले इसमें और शामिल किये गये तत्पश्चचात 1 अप्रैल 2008 को तृतीय चरण में भारत के शेष 585 ग्रामीण जिले में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम का संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम को संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया योजना का मुख्य उदेश्य ग्रामीण परिवारों को उनके निवास स्थल पर ही रोजगार उपलब्ध कराना हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निम्न उदेश्य हैं–

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस से बढकर 150 दिवस रोजगार प्रदान करना।

(2) ग्रामीण भारत में निवास करने वाले सार्वाधिक कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा मनोबल बढ़ाना।

(3) ग्रामीण भारत में सूखापन एवं बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करना।

(4) गांवो से शहरो की ओर महिलाओं में होने वाले पलायन को रोकना तथा उनकी निवास स्थान पर ही रोजगार उपलब्ध कराना।

(5) स्थायी संपत्ति बेहतर जल सुरक्षा, भूमि संरक्षण तथा उच्च भूमि उत्पादन का निर्माण करके गरीब लोगों की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(6) जमीन स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाना।

(7) गरीबी दूर करने और आजीविका संबंधी विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के जरिए विकेन्द्री करण और भागीदारी योजना को मजबूत करना।

(8) समाज के स्थिति पर स्थित समुदायों विशेष रूप से महिलाओं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को कानून द्वारा सशक्त बनाना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपनी सामाजिक सुरक्षा आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से ग्रामीण भारत में समग्र प्रगति का एक शक्तिशाल औजार बन गए है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीणा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है तथा इसके, अतिरिक्त महिलाओं को मातृत्व भत्ता, कार्यस्थल पर शिशुगृह पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता हैं मजदूरी के भूगतान में कोई लैगिग भेदभाव नही किया जाता है। जिससे सामाजिक समानता बनी रहती है।

आकड़ो का विश्लेषण एवं एकत्रीकरण :–

छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ा और घनी आबादी वाला जिला राजनांदगांव जिला है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण–पश्चिम भाग में स्थित है, तथा राजनांदगांव दुर्ग संभाग मे आते है यह छत्तीसगढ़ के पांचवा संभाग बना हैं–

राजनांगांव जिलों के विकासखण्ड पंचायतो एवं ग्रामों की संख्या 2019की स्थिति के अनुसार,

विकासखण्ड	कुल पंचायत	कुल ग्राम
डोगरगढ़	100	176
डोगरगांव	74	108
मानपुर	56	169
छुरिया	115	216
कुल	345	669

तालिका क्रमांक – 01

राजनांदगांव जिले में मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की स्थिति :–

वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक

		वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18			वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20		
क्र	ब्लाक	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत

1	डोगरगढ़	170]745	86164	50%	181236	101894	56-22%	189554	112753	59-48%	179-772	1-9325	60-81%
2	मानपुर	88]619	44232	49-9%	93905	518116	55-19%	97635	54322	55-63%	133-066	80153	60-23%
3	छुरिया	17]3997	88637	50-9%	189156	99531	52-32%	193521	102735	53-08%	259]357	142]157	54-81%
4	डोरगांव	120058	60344	50-26%	131157	71765	54-71%	139259	79534	57-1%	2]55]326	153254	60-02%
	कुल	553419	279377	50-27%	595454	325006	54-49%	619969	349344	56-32%	827]521	394-889	58-96%

आरेख क्रमांक 01

राजनांदगांव जिले में मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की स्थिति

वित्त वर्ष **2016–17 से 2019–20 तक**

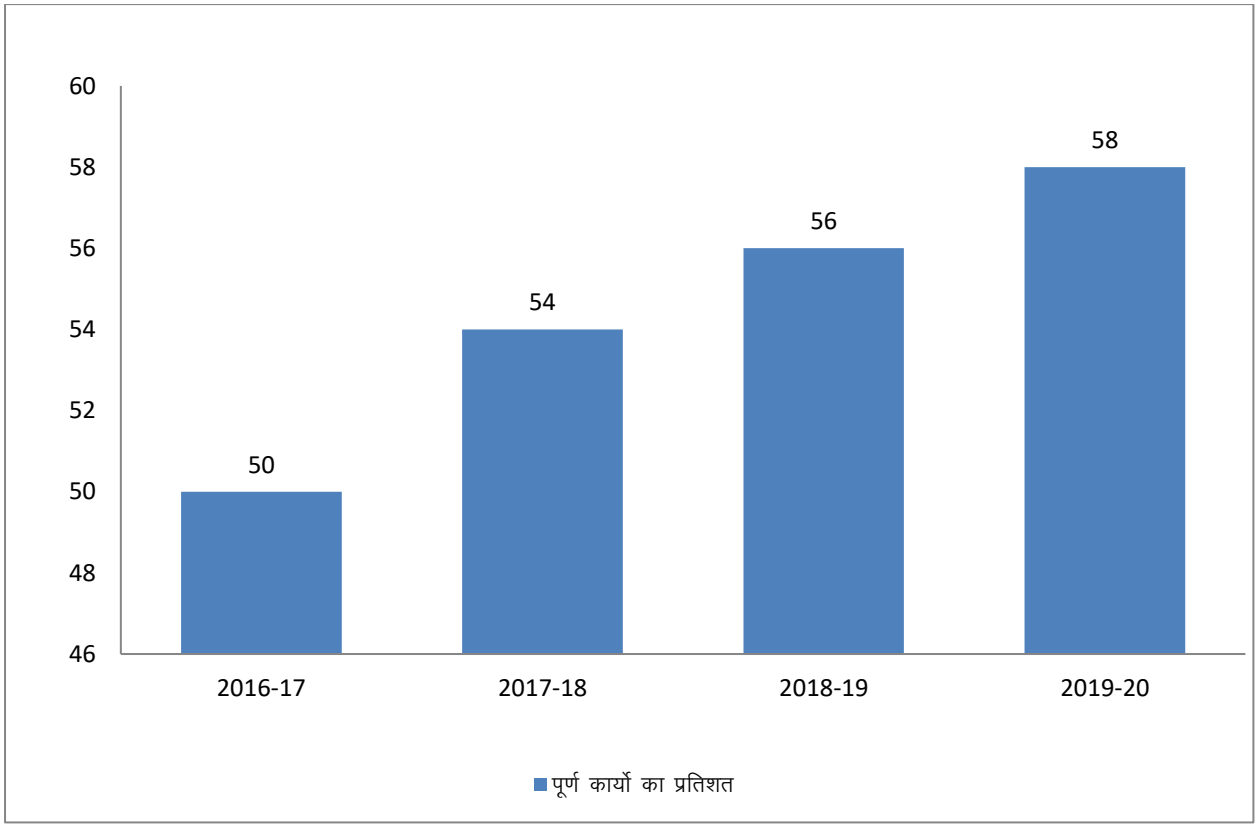

रेखाचित्र का स्पष्टीकरण :–

उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट है कि वित्तिय वर्ष में 2016–17 में मनरेगा के अंतर्गत कुल 553419 श्रमिकों में से 279377 महिला श्रमिकों का रोजगार दिया गया जो कुल का 50 प्रतिशत हैं। वर्ष 2017–18 में कुल श्रमिको की संख्या 595454 है, जिसमें महिला श्रमिकों की संख्या 325006 है जो कुल का 54 प्रतिशत है इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में कुल 619969 श्रमिक है जिसमें महिला श्रमिक की संख्या 349344 है जो कुल का 56 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 में 827521 कुल श्रमिकों मे से 394889 महिला श्रमिको की संख्सा है, जो कुल का 58 प्रतिशत रोजगार प्राप्त किया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त रोजगार का प्रतिशत 33 प्रतिशत आरक्षण से अधिक जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक 02

मनरेगा के अंतर्गत अर्जित मानव दिवस की आय का विवरण

वित्तीय वर्ष **2011–12 से 2019–20 तक**

वर्ष	**प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय (रूपये में)**
2011&12	125-00
2012&13	132-00
2013&14	146-00
2014&15	157-00
2015&16	159-00
2016&17	167-00
2017&18	172-00
2018&19	174-00
2019&20	176-00

स्त्रोत :- राजनांदगांव जिले मे स्थित डोगरगढ़, डोगरगांव, मानपुर और छुरिया मे से ऑकडा जिला सांख्यिकी कार्यालय से लिया गया हैं|

आरेख क्रमांक 02

मनरेगा के अंतर्गत अर्जित मानव दिवस की आय का विवरण

वित्तीय वर्ष **2016–17 से 2019–20 तक**

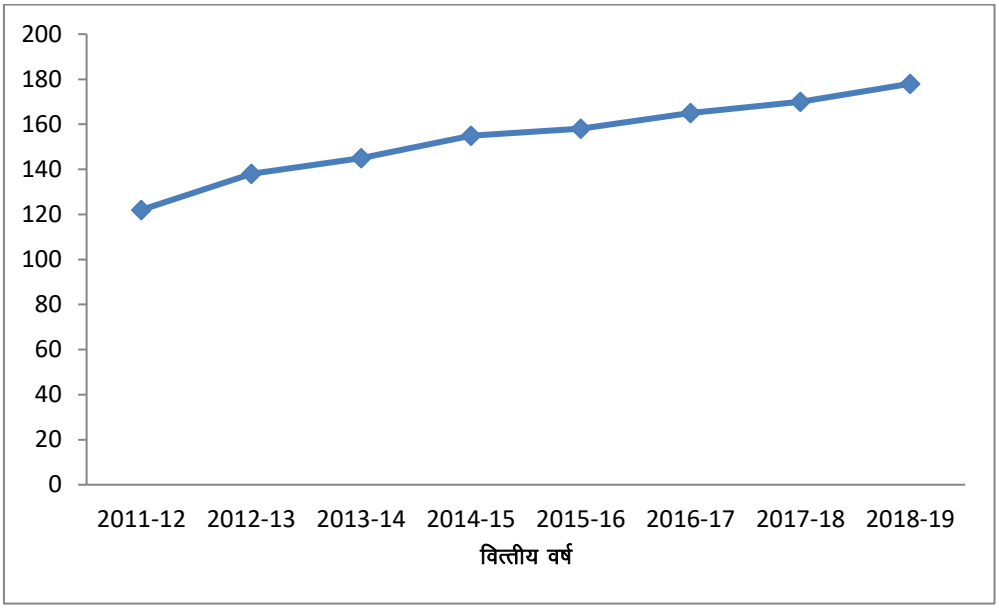

तालिका का स्पष्टीकरण :–

उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अंतर्गत देय मजदूरी अधिनियम के आधार पर निर्धारित कि जाती है वर्ष 2011–12 में प्रतिदिन व्यक्ति अर्जित आय 125 रू. वर्ष 2012–13 में 132रू. , वर्ष 2013–14 में 146 रू. वर्ष 2014–15 में 157 रू. वर्ष 2015–16 में 159 रू. वर्ष 2016–17 में 167 रू. , वर्ष 2017–18 172 रू., वर्ष 2018–19 में 174 रू., 2019–20 में 176 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए अर्जित आय निर्धारित की गई है। इस प्रकार मनरेगा मजदूरी वृद्धि से महिला श्रमिकों की शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आई है।

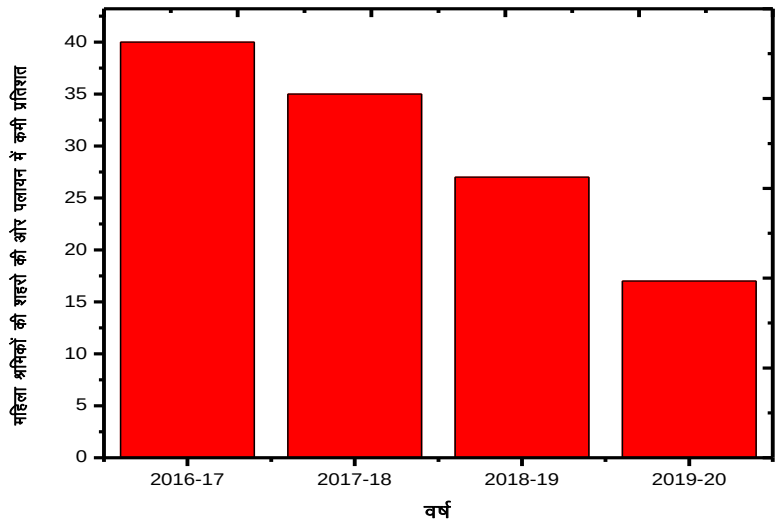

मनरेगा की उपलब्धियॉ :–

छत्तीसगढ़ राज्य के मनरेगा के अंतर्गत 150 दिन का काम की गारंटी दिया जाता हैं।

(1) राजनांदगांव के ग्राम पंचायत को 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ हैं।

(2) छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रसूति पर एक माह का अवकाश के साथ मजदूरी प्रदान करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया हैं।

(3) राजनांदगांव जिले को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित कर पुरस्कार दिया गया हैं।

(4) राजनांदगांव जिले में मनरेगा के अंतर्गत कार्यो में ग्रामीण महिलाओं को 75 प्रतिशत से अधिक रोजगार रहे है जिससे राजनांदगांव जिले को महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ हैं।

(5) मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व प्रोत्साहन एवं भत्ता दिये जाते है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाएं को बिना काम के मजदूरी प्रदान किया जाता है।

(6) मनरेगा योजना में ग्रामीण गरीबी को काम करने के अपने उदेश्य की पूर्ति करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लाखो लोगो महिलाओं का गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है।

मनरेगा की समस्याएं :–

(1) मनरेगा योजना में कार्यस्थल पर समुचित सुविधा का अभाव होता है।

(2) महिला श्रमिकों के अशिक्षित होने के कारण मजदूरी भूगतान में मेंटो के द्वारा गढ़बड़ी की जाती है।

(3) महिला श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में सम्पूर्ण जानकारी का अभाव होना।

(4) महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता एवं बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान व जानकारी का अभाव पाये जाना।

(5) मनरेगा योजना में कार्य करने के दौरान ठेकेदारों के द्वारा महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

(6) महिला श्रमिकों की फर्जी मास्टर रोल बनाया जाना तथा महिलाएं योजनाओं में लाभ उठाने से वंचित हो जाती है।

(7) मनरेगा में श्रमिकों को भुगतान बैंकों व डाकघरों के माध्यम से होता है जिसमें महिला श्रमिकों को बैंकों की औपचारिकताएं पूरी करने में कठिनाई होती हैं।

मनरेगा योजना की समाधान :–

(1) मनरेगा योजना में कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक, चिकित्सा मुहैया करानी जानी चाहिए। अगर 06 साल से कम आयु के 05 ज्यादा बच्चे हो तो झूलाघर की व्यवस्था की जानी चाहिए | झूलाघर की देख भाल करने के लिए महिला श्रमिक को नियुक्ति भी की जानी चाहिए।

(2) महिला श्रमिकों को शिक्षित आवश्य रू‍प से किया जाना चाहिए ताकि वे मेटो द्वारा की गई नियम व अधिकार तथा जालसाजीस को अच्छे से समझ सके और मनरेगा योजना का लाभ उठा सके।

(3) महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ता व शिकायत निवारण के बारे में पूर्ण जानकारी देना चाहिए।

(4) महिला श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए बैंको व डाकघरों को स्यवं आगे आना चाहिए तथा बैंकों व डाकघरों को ही खाते खुलवाने से संबंधित सम्पुर्ण औपाचारिकता पूरी करना चाहिए।

(5) मनरेगा योजना में कार्य करने के दौरान ठेकेदारों के द्वारा महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यहार किये जाने पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

(6) मनरेगा में यह तय किया जाना चाहिए की महिला श्रमिकों को 04 कि.मी. दूरी के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करा सके।

मनरेगा योजना से संबंधित सुझाव :–

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण्र रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए गए कार्यो की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने का प्रयाय करना चाहिए।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिला श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गये आवेदन की अच्छे से जांच कर ही जॉब कार्ड का वितरण किया जाना चाहिए।

(3) मनरेगा योजना में पूर्ण रूप से समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए।

(4) सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करवानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगति को रोका जा सके।

(5) सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृति राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जिससे मजदूरो को भुगतान करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(6) ऐसे कार्य हो जो मशीन के सहायता से किए जाते है उन कार्यो पर रोक लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण श्रमिको अधिक से अधिक रोजगार कि अवसर मिल सके।

मनरेगा में आगे की राह :–

(1) महिला श्रमिकों को जॉब कार्ड में रोजगार संबंधि सूचना दर्ज नही कराने पर दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए।

(2) ध्यातत्व है कि पुरूष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की आय घर के जीवन स्तर को सुधारने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

(3) केन्द्र सरकार को आंवटित धन के अल्प उपयोग और कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

निष्कर्ष :–

उपर्युक्त मनरेगा योजना से यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं और भूमिहिन मजदूरों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम केन्द्र व राज्य सरकार की सबसे बड़ी लोकप्रिय योजनाओं में से एक है, जिससे ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिकरण का माध्यम से ही राजनांदगांव जिले का ग्रामीण महिला अच्छे से विकास कि प्रगति पर आ गया है।

राजनांदगांव जिले को सर्वाधिक महिलाओं की रोजगार प्रदान करने में सर्व प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं को सामान्य अवसर प्राप्त हुआ है। अंत में इय योजना के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा योजना महिलाओं की आत्मा है और उसी आत्मा जीवन शैली है जिससे जीवन जीना सीखा दी और मनरेगा सुरक्षा कवच के रूप में वरदान साबित हुआ है।

संदर्भ ग्रथ सूची :–

शाधे ग्रथं एव ंपुस्तकेंः–

1. आनंद प्रकाश मिश्र – ग्रामीण निर्धनता, साहित्य भवन,आगरा, 1998
2. अनन्या चद्रं – गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों के कुछ मुद्दें, कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल, 2001
3. बम्हदेव शर्मा – गरीबी का मकडज़ाल, साहित्य भवन,आगरा, 1999
4. छदे खदुाई – भारतीय ग्रामीण कल्याण, तिवारी प्रकाशन,दिल्ली, 2001
5. डॉ.बी.एल. माथुर – भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन,आगरा, 1997
6. डॉ. बी.एल. फाडिय़ा – शोध पद्वतियॉ, साहित्य भवन पब्लिकशेन,आगरा, 2004
7. डॉ. बी.एम जैन – शोध प्रविधी एवं क्षेत्रीय तकनीक, कालेज बुक डीपोट,जयपुर, 2001
8. डॉ. डी.सी. पंत – भारत में ग्रामीण विकास, कैलाश पुस्तक सदन,भापेाल, 1998
9. डॉ. गणशे पाण्डये एव ंअरूणा पाण्डये– शाधे प्रविधी, राधा पब्लिकशेन,दिल्ली, 2007
10. डॉ. जी.के. अग्रवाल – सामाजिक समस्याऍ, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिंग हाउस,मथुरा,1998
11. डॉ. हीरालाल – जनसख्यां भूगोल के मूल तत्व, कैलाश पुस्तक सदन,भापेाल, 2003
12. डॉ. मामोरिया एव ंद्विवदी – भारत की आर्थिक समस्याऍ, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिगं हाउस,मथुरा, 2005
13. डॉ. मामोरिया एव ंजनै – भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकशेन,आगरा, 1999
14. डॉ. मिश्र जगनाथ – भारतीय आर्थिक विकास की नयी प्रवृतियॉ, विकास पब्लिकशेन हाउस,दिल्ली, 1998
15. डॉ. ओ. एस. श्रीवास्तव – संवृद्वि एवं विकास का अर्थशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन,भापेाल, 2005
16. डॉ. पदमावती – ग्रामीण निर्धनता एव ंनिधर्नता कार्यक्रमो का मल्यांकंन, तिवारी प्रकाशन,दिल्ली, 2002
17. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी – रिसर्च मैथ्डालेाजी, कालेज बुक डीपाटे,जयपुर, 1998
18. डॉ. सजंय तिवारी – सामाजिक विज्ञान मे ंशोध प्रविधी, साहित्य भवन,आगरा, 2000
19. डॉ. वी.सी. सिन्हा – भारतीय अर्थव्यवस्था एव ंसाख्यिकी, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिगं हाउस,मथुरा ,2005
20. लुईस क्लोरेंस– असमानता और गरीब, साहित्य भवन,आगरा, 2003